



# यूको बैंक

अंचल कार्यालय एस. के. तरफदार रोड, आदमपुर, भागलपुर 812001

Phone : 0641-2301752, 2301754, 2301755, 2020090 Fax:0641-2301758, E-Mail:zo.bhagalpur@ucobank.co.in

## बिक्री हेतु निविदा सूचना

### वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 के अनुसार

जबकि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के संगत नियमों के साथ पठित धारा 13 (02) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण अधोहस्ताक्षरी ने उधारकर्ताओं को संबंधित नोटिस प्राप्त की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को लौटाने के लिए मांग नोटिस जारी किया था।

संबंधित नोटिसों में उल्लिखित राशि लौटाने में उधारकर्ता के असफल होने पर निम्नलिखित उधारकर्ता तथा आम जनता को नोटिस दी गई कि प्राधिकृत अधिकारी ने संगत नियमों के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित प्रत्येक उधारकर्ता / गारंटीकर्ता के सामने उल्लिखित तिथियों को उनकी संपत्ति को कब्जे में ले लिया है।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिए गए कब्जे के अनुसरण में निम्नलिखित उधारकर्ता के सामने अंकित विवरण के अनुसार यूको बैंक के प्रतिभूति ऋण तथा उसमें उल्लिखित तिथियों से उस पर ब्याज तथा लागत व प्रभार को वसूली के लिए अधोलिखित संपत्ति, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की खरीद हेतु जहाँ है, जैसा है के आधार पर बंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऑफर आमंत्रित किए जाते हैं।

| क्र. सं. | शाखा का नाम कर्जदार / जमानतदार / बंधककर्ता का नाम  | संपत्ति के मालिक का नाम एवं विवरण  | डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि (रूपये में) | आरक्षित मूल्य / अग्रधन राशि/ बिड वृद्धि राशि | डिमांड नोटिस की तिथि / कब्जा सूचना तिथि |
|----------|--|--|---|--|---|
| 1        | श्री राकेश कुमार सिंह एवं जुली देवी, पिता श्री राम शरण प्रसाद सिंह एवं पति श्री राकेश कुमार सिंह, ग्राम- ज्योति विहार, कालोनी नौबर मॉडर्न एससी स्कूल (सी. सेक्शन) बहादुरपुर, जिला- भागलपुर<br>ब्रांच: गुरुद्वारा चौक भागलपुर | भूमि और भवन के स्वामित्व पार्सल के सभी भाग- एरिया- 1440 वर्गफीट, खाता नं.- 90, खेसरा नं.- 203 (पाट), सेल डीड नं.- 8977, दिनांक- 19.06.2012 एवं 2027 दिनांक 09.02.2013 मौजा- बरारी, थाना- बरारी में सब रजिस्ट्रेशन जिला एवं जिला- भागलपुर में श्री राकेश कुमार सिंह के नाम<br>चौहद्दी: उत्तर- श्री डोमन मंडल, दक्षिण पूर्णिमा घोष, पूरब- 10 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम: श्रीमती पूर्णिमा घोष                                     | ₹ 13,69,812.49/-<br>+ ब्याज एवं अन्य खर्च     | 73,26,000/-<br>7,32,600/-<br>10000/-         | 18.10.2017<br>09.01.2018                |
| 2        | श्रीमती करुणा कुमारी, पति श्री बलराम पासवान, ग्राम- जवारीपुर, पो.- तिलकामांझी, जिला- भागलपुर<br>ब्रांच: चमेलीचक, भागलपुर   | भूमि और भवन के स्वामित्व पार्सल के सभी भाग- एरिया- 2 कट्टा, खाता नं.-6, खेसरा नं.- 968, 969, मौजा- वार्ड नं.- 9, तिलकामांझी, थाना- तिलकामांझी में सब रजिस्ट्रेशन जिला एवं जिला- भागलपुर में श्री बलराम पासवान एवं देवेन्द्र पासवान के नाम<br>चौहद्दी: उत्तर- रोड, दक्षिण- श्री चन्द्रदेव यादव, पूरब- बेला देवी, पश्चिम- श्री अजब लाल पासवान  | ₹ 10,68,039/-<br>+ ब्याज एवं अन्य खर्च        | 39,59,000/-<br>3,95,900/-<br>10000/-         | 12.10.2017<br>09.01.2018                |
| 3        | मेसर्स ऑडियो विजन, प्रो. श्री पवन कुमार मंडल, पिता- स्व. गणेश प्रसाद मंडल, पता- कल्पना सिनेमा रोड सिकारगढ़ टोला, कहलगांव जिला- भागलपुर<br>ब्रांच- कहलगांव  | भूमि और भवन के स्वामित्व पार्सल के सभी भाग- श्री पंकज कुमार, पवन कुमार मंडल एवं श्रीमति मीना देवी, क्षेत्रफल- 578 वर्गफीट, थाना सं.- 267, खाता सं.- 23, खेसरा सं.- 237, सेल डीड सं.- 3370, मौजा एवं थाना- कहलगांव, जिला- भागलपुर<br>चौहद्दी: उत्तर- गली एवं मीना देवी, दक्षिण- रतन खेमका, पूरब- पंकज कुमार, पश्चिम- गली  | ₹ 4,43,296.70/-<br>+ ब्याज एवं अन्य खर्च      | 12,15,000/-<br>1,21,500/-<br>10000/-         | 26.09.2016<br>12.01.2017                |
| 4        | मेसर्स रजनी स्टोर, प्रो. श्रीमती मीना देवी (सिंह), पति- श्री राजेश कुमार सिंह, पो.- अहिरो, धौरैया, बांका<br>ब्रांच- धौरैया   | भूमि और भवन के स्वामित्व पार्सल के सभी भाग- श्रीमती मीना देवी, पत्नी श्री राजेश कुमार सिंह, मौजा-बेलडीहा, थाना नं. 325, जिला - बांका, ईएमटीडी: एसआई नं. 111/2005-06, निष्पादन की तिथि: 29.09.2005, खाता नं. 270/49, खंसरा नं. 1288/1034, क्षेत्रफल-72 डिसेमल<br>चौहद्दी: उत्तर- छत्तीस राव एवं तारणी राव, दक्षिण- नंदन झा एवं विपिन मिश्रा, पूरब- सड़क, पश्चिम- प्रमोद बौटन एवं माधो बैटन, डीड नं. 815, दिनांक 18.01.2000। | ₹ 10,60,797.60/-<br>+ ब्याज एवं अन्य खर्च     | 11,11,000/-<br>1,11,100/-<br>10000/-         | 24.01.2018<br>20.06.2018                |

#### नियम एवं शर्तें:-

- इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में अग्रधन राशि (असफल निविदाकर्ताओं को ब्याज रहित वापस करने योग्य) के साथ इस प्रकार प्रेषित करें कि वह अधोहस्ताक्षरी को यूको बैंक, अंचल कार्यालय, एस. के. तरफदार रोड, आदमपुर भागलपुर में 10.09.2018 को या इसके पूर्व अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त हो जाए।
- मुहरबंद लिफाफे दिनांक 11.09.2018 को अपराह्न 1.00 बजे उपलब्ध/इच्छुक निविदाकर्ताओं के समक्ष प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोले जाएंगे एवं इस उद्देश्य के लिए इच्छुक निविदाकर्ताओं को अलग से नोटिस नहीं दी जायेगी।
- उक्त संपत्ति उपर में वर्णित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। इच्छुक निविदाकर्ताओं को उल्लिखित अग्रधन राशि 'प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक' के पक्ष में भागलपुर पर देय तथा किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक पर आहरित भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा में भाग लेने पर साथ में जमा करना होगा। सफल निविदाकर्ता को स्थिति में राशि समायोजित की जाएगी, अन्यथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथानिर्णीत उसी दिन/व्याद में लौटा दी जाएगी। अग्रधन जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि (अग्रधन राशि सहित) का 25% निविदा स्वीकृति की सूचना के दिन ही जमा करना होगा। शेष 75% बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या इसके पूर्व जमा करना होगा। यह राशि प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक के पक्ष में, भागलपुर पर देय तथा किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक पर आहरित भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा।
- उच्चतम निविदा प्रतिभूत लेनदार/प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोहन के अधीन होगी।
- सफल निविदाकर्ता को बिक्री प्रमाण पत्र के निबंधन के लिए स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आकरिमिक खर्च आदि वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कारण बताए किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या नीलामी या टेंडर खोलने को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- अधिकृत अधिकारी अपने पास ये अधिकार सुरक्षित रखता है कि वो बिना किसी कारण बताये नीलामी को रद्द/स्थगित एवं समाप्त कर सकता है। अधिकृत अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी के नियम एवं शर्तों में बदलाव कर सकता है।
- सम्पत्ती की जांच दिनांक 09.09.2018 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कि जायेगी, इच्छुक व्यक्ति सम्पर्क करें गुरुद्वारा चौक शाखा मो.- 9835297088, चमेलीचक शाखा मो.- 7091776196, कहलगांव शाखा मो.- 9934293242, धौरैया शाखा मो.- 8757758691

दिनांक : 10.08.2018  
स्थान : भागलपुर

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत पदाधिकारी  
यूको बैंक, अंचल कार्यालय, भागलपुर